

FROM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

हंगला

मुकाम

उपखण्ड अधिकारी

हंगला

जिला-चित्तौड़गढ़

बनाम

जिला-चित्तौड़गढ़

मुकदमा

दाखी वाई

क्र. 2025/104/25

नं.

14/2025


सं.

तारीख हुक्म	हुक्म का कार्रवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/4/25	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री <u>दुर्गा कुमर जोशी</u> ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को प्रार्थना पत्र की नकल सूचना पत्र के साथ भेजी जावे पत्रावली देखने तामीली रिपोर्ट एवं जवाब दिनांक <u>16/7/25</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">30/04/25 उपखण्ड अधिकारी</p> <p>16/7/25 पत्रावली पेश हुई। वकील <u>श्री दुर्गा कुमर जोशी</u> विपक्षी भूमिधारी <u>सखीलदार कुंवा से जवाब रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।</u> <u>दुर्गा कुमर जवाब रिपोर्ट</u> में दिनांक 16/7/25 को पेश हो।</p>	
24/6/25	<p>पत्रावली दिनांक 16.7. 2025 को सुनवाई में नियत है। प्रार्थीया दिनांक 24.6. 2025 को ग्राम पंचायत मुख्यालय कैलवात पर आयोजित पण्डित दीन दयाल उपाध्याय शिविर में प्रार्थीया एवं उनके परिवार के सदस्य अधोदररासकरा के समक्ष उपस्थित होकर ग्राम सेठवाता के व्यक्ति <u>अमराजिमत दर्ज डाकुवाई जिता वरधा</u> को जगह पर दाखी वाई जिता वरधा दर्ज कराये जाने का कथन किया गया इस पर इस पर प्रार्थीया के परिवार के सदस्य का</p>	



उपखण्ड अधिकारी
हंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

वगान मजदोरे बाग में छिने गये । पत्रपत्नी का
 एवं संलग्न दरवाजों का अवलोकन किया गया
 पुर्वीया एवं वगान कति को सुना गया बादशुनवाई
 पुर्वीया का पुर्वीया पत्र बन्धुगति द्वारा 126 एका
 अरु एक के पुतदानी के जस्ट पाया जाने से
 पुर्वीया पत्र को शचीकार किया जाता है ।
 तथा डाक सेवाना पत्रार गण्डक देवपक्ष के
 खतासंख्या 45, 269, 309, 242 व 370 में दर्ज
 डकुबाई को दाखीबाई पिता वरदा दर्ज किया
 जाने का आदेश दिया जाता है । आदेश जारी
 है । पत्रपत्नी फेरख शुमार एकए-म्वए
 से कम है ।


 उपस्थित अधिकारी
 इंगल
 जिला-चिर्ताइयक

12/1/19